न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 18/2025 धारा 163 भा0ना0सु0सं0

अन्य ग्रामीण (प्रथम पक्ष) बनाम् बालेश्वर वर्मा (द्वितीय पक्ष)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई क बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16.2.25	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बिरनी का पत्रांक 166 दिनांक 15.02.2025 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर अन्य ग्रामीणों के साथ उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है। अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 163 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 21.2.25 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 21.2.25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित [signature] 16-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) [signature] 16-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	

...ी क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21-2-25	प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। अगली तिथि के पूर्व द्वितीय पक्ष w/s दाखिल करें। अगली तिथि 07-03-25 (हस्ताक्षर) 21-2-25.	
07/3/25	प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। अविलम्ब जवाब दाखिल करें। अगली तिथि - 12/3/25 (हस्ताक्षर) 07/3/25	
12/3/25	~~अथम पक्ष~~ प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा w/s file. आदेश हेतु। (हस्ताक्षर) 12/3/25 **आदेश** अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन पत्रांक 166/बिरनी, दिनांक 15-02-25 के आलोक में इस वाद की कार्यवाई आरंभ की गई। लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना पर B.N.S.S. की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा	

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रवृत्त कर उभय पक्ष को उक्त भूमि जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया। नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष को लिखित अभिकथन दाखिल करने का भी निदेश दिया गया। प्रथम पक्ष अनुपस्थित रहे। द्वितीय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा लिखित अभिकथन दाखिल किया।

द्वितीय पक्ष बालेश्वर प्र. वर्मा अपने लिखित अभिकथन में कहते हैं कि विवादग्रस्त भूमि उन्हें खरीदगी केवाला (Sale deed) के जरिए हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बिरनी के पंजी-II के Vol. No. 06 पृष्ठ सं 43 में दर्ज है तथा online लगान रसीद वर्ष 2025 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में केवाला दस्तावेज सं. 634 दिनांक 22/6/95 की छायाप्रति, एक online लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों के अवलोकन, द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने तथा

(2)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश की प्रति द्वितीय पक्ष तथा अंचल अधिकारी, कितनी को भेजें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 12/3/25 (हस्ताक्षर) 12/4/25 अनु. पदा. अनु. पदा. बगोदर-सरिया बगोदर-सरिया।	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.04.26 16:43:34 +05:30
Location: 192.168.1.4